रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062026-273657
CG-DL-E-19062026-273657

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 449] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 19, 2026/ज्येष्ठ 29, 1948
No. 449] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 19, 2026/JYAISTHA 29, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2026

सं. 11/2026-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 500(अ).—जहां कि, चीन जनवादी गणराज्य, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "सल्फेनामाइड्स एक्सेलरेटर्स" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2921 51 90, 2930 30 00, 2931 90 90, 2934 20 10, 2934 20 90, 2934 99 90, 3812 10 00, 3812 20 90, 3812 31 00, 3812 39 10, 3812 39 20, 3812 39 30 और 3812 39 90 के अंतर्गत आती है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम निष्कर्षों, फा. सं. 6/52/2024-डीजीटीआर, दिनांक 20 मार्च, 2026, जो दिनांक 20 मार्च, 2026 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशित हुए थे, में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि-

(i) विषयगत देशों से आयातों के लैंडेड मूल्य घरेलू उद्योग की विक्रय लागत और विक्रय मूल्य से कम रहा है;

(ii) जांच अवधि में विषयगत देशों से मूल्य कटौती सकारात्मक है;

(iii) क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का विक्रय मूल्य दबा हुआ रहा है,

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः अब, सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात्, एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में दिए गए विवरण वाली विषयगत वस्तु पर, जो कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती है, कॉलम (4) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पादित है और भारत में आयातित है, उक्त सारणी के कॉलम (7) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर दर पर, कॉलम (9) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप की इकाई के अनुसार, प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्र. सं.	**टैरिफ मद**	**वस्तुओं का विवरण**	**मूलत: उत्पादन का देश**	**निर्यातक देश**	**उत्पादक**	**राशि**	**माप की इकाई**	**मुद्रा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2921 51 90, 2930 30 00, 2931 90 90, 2934 20 10, 2934 20 90, 2934 99 90, 3812 10 00, 3812 20 90, 3812 31 00, 3812 39 10, 3812 39 20, 3812 39 30 और 3812 39 90*	सल्फेनामाइड्स एक्सेलरेटर्स**	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	कोई भी	974	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

2	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	974	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3	वही	वही	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ सहित कोई भी देश	लैंक्सेस बेल्जियम एन.वी.	1257	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
4	वही	वही	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ सहित कोई भी देश	क्रम सं. 3 के अतिरिक्त कोई भी उत्पादक	1748	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
5	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त कोई भी देश	यूरोपीय संघ	कोई भी	1748	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
6	वही	वही	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कोई भी देश	लैंक्सेस कॉरपोरेशन	75	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
7	वही	वही	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कोई भी देश	क्रम सं. 6 के अतिरिक्त कोई भी उत्पादक	192	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
8	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त कोई भी देश	संयुक्त राज्य अमेरिका	कोई भी	192	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

** ऊपर उल्लिखित सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है।*

*** विचाराधीन उत्पाद का विवरण 'सल्फेनामाइड्स एक्सेलरेटर्स' है। विचाराधीन उत्पाद के दायरे से एमओआर (एन-ऑक्सीडाइएथिलीन-2-बेंजोथियाजोल सल्फेनामाइड) और डीसीबीएस (एन,एन'-डाइसाइक्लोहेक्सिल-2-बेंजोथियाजोल सल्फेनामाइड्स) सल्फेनामाइड्स एक्सेलरेटर्स को बाहर रखा गया है। विचाराधीन उत्पाद के दायरे में केवल सीबीएस (एन-साइक्लोहेक्सिल-2-बेंजोथियाजोल सल्फेनामाइड) और एनएस (एन-टर्ट-ब्यूटाइल-2-बेंजोथियाजोल सल्फेनामाइड) रूप शामिल हैं।*

नोट: ऊपर दी गई सारणी में क्र. सं. 3 और 6 में उल्लिखित उत्पादकों के लिए निर्धारित व्यक्तिगत शुल्क दरों का आवेदन सीमा शुल्क अधिकारियों को एक वैध वाणिज्यिक चालान प्रस्तुत करने पर आकस्मिक होगा, जिस पर ऐसा चालान जारी करने वाली इकाई के एक अधिकारी द्वारा दिनांकित और हस्ताक्षरित घोषणा अंकित होगी, जिसमें उसका नाम और पद अंकित होगा, जो इस प्रकार होगी:

'मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस चालान में उल्लिखित केवल भारत को निर्यात के लिए बेचे गए सल्फेनामाइड त्वरक (मात्रा) की मात्रा, जिसमें सीबीएस (एन-साइक्लोहेक्सिल-2-बेंज़ोथियाज़ोल सल्फेनामाइड) और/या एनएस (एन-टर्ट-ब्यूटिल-2-बेंज़ोथियाज़ोल सल्फेनामाइड) शामिल हैं, का निर्माण चीन गणराज्य/यूरोपीय संघ/संयुक्त राज्य अमेरिका में (कंपनी का नाम और पता) द्वारा किया गया था। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस चालान में दी गई जानकारी पूर्ण और सही है।'

यदि ऐसा कोई चालान प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी उत्पादकों पर लागू शुल्क लागू होगा। यह आवश्यकता सीमा शुल्क कानूनों और विनियमों के तहत सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लागू होगी।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण.- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो उक्त सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190349/31/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2026

No. 11/2026-Customs (ADD)

G.S.R. 500(E).—Whereas, in the matter of 'Sulphenamides Accelerators' (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff items 2921 51 90, 2930 30 00, 2931 90 90, 2934 20 10, 2934 20 90, 2934 99 90,3812 10 00, 3812 20 90, 3812 31 00, 3812 39 10, 3812 39 20, 3812 39 30 and 3812 39 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from the People's Republic of China, the European Union and the United States of America (hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority in its final findings, *vide* F. No. 6/52/2024-DGTR, dated the 20th March, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 20th March, 2026, has come to the conclusion that-

(i) the landed prices from subject countries have remained below the cost of sales and selling price of the domestic industry;

(ii) the price undercutting from the subject countries is positive in the period of investigation;

(iii) the selling price of the domestic industry has been suppressed over the injury period,

and has recommended imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff items of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the country as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement (UOM) as specified in the corresponding entry in column (8) of the said TABLE, namely :-

TABLE

SN	Tariff Items	Description	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	UOM	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2921 51 90, 2930 30 00, 2931 90 90, 2934 20 10, 2934 20 90, 2934 99 90, 3812 10 00, 3812 20 90, 3812 31 00, 3812 39 10, 3812 39 20, 3812 39 30 and 3812 39 90*	Sulphenamides Accelerators**	People's Republic of China	Any country including People's Republic of China	Any	974	MT	US$
2	-do-	do-	Any country other than People's Republic of China, European Union and United States of America	People's Republic of China	Any	974	MT	US$
3	-do-	do-	European Union	Any country including European Union	Lanxess Belgium N.V.	1257	MT	US$
4	-do-	do-	European Union	Any country including European Union	Any producer other than SN 3	1748	MT	US$
5	-do-	do-	Any country other than People's Republic of China, European Union and United States of America	European Union	Any	1748	MT	US$
6	-do-	do-	United States of America	Any country including United States of America	Lanxess Corporation	75	MT	US$
7	-do-	do-	United States of America	Any country including United States of America	Any producer other than SN 6	192	MT	US$
8	-do-	do-	Any country other than People's Republic of China, European Union and United States of America	United States of America	Any	192	MT	US$

** Customs classification mentioned above is only indicative.*

*** The description of the product under consideration is 'Sulphenamides Accelerators'. The scope of the product under consideration excludes MOR (N-oxydiethylene-2-benzothiazole sulphenamide) and DCBS (N,N'-Dicyclohexyl-2-benzothiazole sulfenamides) Sulphenamides Accelerators. The scope of the product under consideration only includes CBS (N-cyclohexyl-2-benzothiazolesulfenamide) and NS (N-tert-butyl-2-benzothiazole sulfenamide) form of the product under consideration.*

Note : The application of the individual duty rates specified for the producers mentioned in the SN 3 and 6 in the TABLE above shall be conditional upon presentation to the customs authorities of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows: *'I, the undersigned, certify that the (volume) of Sulphenamides Accelerators' including CBS (N-cyclohexyl-2-benzothiazolesulfenamide) and/or NS (N-tert-butyl-2-benzothiazole sulfenamide) form only sold for export to India covered by this invoice was manufactured by (company name and address) in China PR/ European Union/ United States of America. I declare that the information provided in this invoice is complete and correct.'*. If no such invoice is presented, the duty applicable to all other producers shall apply. This requirement is without prejudice

to the verification procedures independently undertaken by the Customs authorities under the applicable customs law and regulations.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

***Explanation*.-** For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. CBIC-190349/31/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.06.19 22:43:35 +05'30'